2020 का विधेयक संख्यांक 112-सी

(सशक्तिकरण और संरक्षण) कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020 ,विधेयक

खंडों का

क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. विस्तार और प्रारंभ । ,संक्षिप्त नाम

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

कृषि करार

3. कृषि करार और इसकी अवधि ।

4. श्रेणी और मानक । ,कृषि उत्पाद की क्वालिटी

5. कृषि उत्पाद की कीमत लगाना ।

6. कृषि उत्पाद का विक्रय या क्रय ।

7. कृषि उत्पाद के संबंध में छूट ।

8. कृषक भूमि या परिसर के स्वामित्व अधिकार अर्जित करने या उसमें स्थायी रूप से कोई परिवर्तन करने से प्रायोजक का प्रतिषिद्ध होना ।

9. कृषि करार का बीमा या प्रत्यय से जोड़ा जाना ।

10. कृषि करार के अन्य पक्षकार ।

11. कृषि करार का परिवर्तन या समापन ।

12. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की स्थापना ।

अध्याय 3

विवाद का समझौता

13. विवाद के समझौते के लिए सुलह बोर्ड ।

14. विवाद समाधान के लिए तंत्र ।

15. कृषक की भूमि के विरुद्ध शोध्यों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न होना ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

16. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

17. अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों का लोक सेवक होना ।

18. सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

19. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

खंड

20. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

21. अधिनियम का स्टाक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को लागू न होना ।

22. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

23. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

24. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

25. निरसन और व्यावृत्ति ।

(लोक सभा द्वारा 17.9.2020 को पारित रूप में)

2020 का विधेयक संख्यांक 112-सी

[एग्रीमेंट आन प्राइस एसुरेन्स एंड फर्म (इम्पोवरमेंट एंड प्रोटेक्शन) दि फारमर्स सरवीसेस बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

(सशक्तिकरण और संरक्षण) कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर विधेयक करार, 2020

रूप से पारस्परिक ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के के विक्रय
निर्यातकों या बड़ी ,थोक विक्रेताओं ,प्रोसेसरों ,लिए कृषि कारबार फर्मों संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा ,उनको सशक्त करते हैं उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

यह में रूप निम्नलिखित द्वारा संसद् में वर्ष इकहत्तरवें के गणराज्य भारत हो अधिनियमित :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) **सशक्तिकरण और) कृषक** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **अधिनियम कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (संरक्षण, 2020 है ।**

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(से किसी भी राज्य अधिनियम के अधीन "एपीएमसी यार्ड" (क कृषि उत्पाद में बाजार और व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित कृषि उत्पाद विपणन समिति यार्ड को समाविष्ट करने वाले कोई किए गए अभिप्रेत है ,चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो ,परिसर भी भौतिक ;

(से कंपनी अधिनियम "कंपनी" (ख, 2013 की धारा 2 के खंड (20) परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है में यथा ; 2013 का 18

(से "इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफार्म" (ग इलेक्ट्रानिक युक्तियों और इंटरनेट प्रयोग के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पाद के व्यापार और वाणिज्य के संचालन के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित प्लेटफार्म अभिप्रेत है ;

(,रसायन-कृषि ,चारा ,भोजन ,के अंतर्गत बीज "कृषि सेवाओं" (घ रसायन कृषि इनपुट और कृषि के-गैर ,सलाह ,मशीनरी और प्रौद्योगिकी लिए ऐसे अन्य इनपुट भी हैं ;

(से स्वतः या किराए के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषि "कृषक" (ङ उत्पाद के उत्पादन में लगा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है कृषि उत्पादक संगठन भी;

(से कृषकों का ऐसा संगम या समूह "कृषक उत्पादक संगठन" (च जो ,चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो ,अभिप्रेत है—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या ; है

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है ;

(से किसी भी कृषि उत्पाद की किसी पूर्व "कृषि करार" (छ अवधारित क्वालिटी के उत्पादन या उगाने से पहले किसी कृषक और किसी प्रायोजक और किसी ,या किसी कृषक ,किसी प्रायोजक के बीच तीसरे पक्षकार के बीच किया गया कोई लिखित करार अभिप्रेत है जिसमें प्रायोजक कृषक से ऐसे कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए तथा कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत होता है ।

के "कृषि करार" इस खंड के प्रयोजनों के लिए—स्पष्टीकरण **अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे**—

(i) "**जहां वस्तु का ,"व्यापार और वाणिज्य करार कृषक के पास रहता है और वह के दौरान स्वामित्व उत्पादन के अनुसार उत्पाद के निबंधनों प्रायोजक के साथ सहमत है परिदान पर उसकी कीमत प्राप्त करता ;**

(ii) "**:या भागत :जहां प्रायोजक पूर्णत** "**उत्पादन करार कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा आउटपुट की जोखिम वहन करने के लिए सहमत होता है किंतु ऐसे कृषक द्वारा सहमत दी गई सेवाओं के लिए कृषक को संदाय करने के लिए और ; होता है**

(iii) **ऐसे अन्य करार या पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट करारों का समुच्चय ;**

(के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं "कृषि उत्पाद" (ज—

(i) ,जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल , खाद्य पदार्थ ,दालें ,चावल या अन्य मोटे अनाज ,सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं सुअर ,गन्ना और कुक्कुट पालन ,मसाले ,गिरी ,फल ,सब्जियां मछली उद्योग और दुग्ध उद्योग के ऐसे उत्पाद ,बकरी पालन ,पालन जो अपने प्राकृतिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग के ,आते हैं लिए आशयित हैं;

1932 का 9

(से भारतीय भागीदारी अधिनियम "फर्म" (झ, 1932 की धारा 4 में यथा परिभाषित फर्म अभिप्रेत है;

(से कोई अकल्पित बाह्य घटना अभिप्रेत "अनिवार्य बाध्यता" (ञ ,रोग की महामारी ,भूकंप ,खराब मौसम ,सूखा ,है जिसके अंतर्गत बाढ़ कीटनाशक जीव और ऐसी अन्य घटनाएं जो अपरिहार्य हैं तथा कृषि करार करने वाले पक्षकारों के नियंत्रण से परे है ;

(केंद्रीय सरकार या ,यथास्थिति ,से राजपत्र में "अधिसूचना" (ट राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा "अधिसूचित" ;

(के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं ,"व्यक्ति" (ठ—

(i) कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई भागीदारी फर्म ;

(iii) कोई कंपनी ;

(iv) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(v) कोई सहकारी सोसाइटी ;

(vi) या ; कोई सोसाइटी

(vii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के चल रहे किसी कार्यक्रम के अधीन समूह के रूप में सम्यक् रूप से निगमित या मान्यताप्राप्त कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय ;

(बनाए गए नियमों के अधीन से इस अधिनियम "विहित" (ड द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(से धारा "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" (ढ 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी कृषि "प्रायोजक" (ण उत्पाद का क्रय करने के लिए कृषक के साथ कृषि करार किया है ;

(के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी हैं । "राज्य" (त

अध्याय 2

कृषि करार

कृषि करार और इसकी अवधि ।

3. (1) कोई कृषक किसी भी कृषि उत्पाद के संबंध में लिखित कृषि करार कर सकता है और ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे—

(जिसके ,ऐसे उत्पाद की पूर्ति के लिए निबंधन और शर्तें (क कीमत और ऐसे अन्य ,मानक ,श्रेणी ,क्वालिटी ,का समय अंतर्गत पूर्ति और ; मामले भी हैं

(कृषि सेवाओं की पूर्ति से संबंधित निबंधन (ख :

परंतु ऐसी कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी विधिक अपेक्षा की प्रायोजक या कृषि सेवा प्रदाता का ,यथास्थिति ,अनुपालना का उत्तरदायित्व होगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी कृषक द्वारा कोई भी कृषि करार किसी बटाई काश्तकार के किसी भी अधिकार के अल्पीकरण में नहीं किया जाएगा ।

पद "बटाई काश्तकार" इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—**स्पष्टीकरण** से किसी कृषि भूमि को जोतने वाला या उसका अधिभोगी अभिप्रेत है जो कृषि उत्पाद उपजाने या उगाने के लिए भूमि के स्वामी को फसल का नियत हिस्सा देने या नियत रकम का संदाय करने के लिए औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से सहमत होता है ।

(3) एक फसल अवधि के ,यथास्थिति ,कृषि करार की न्यूनतम अवधि लिए या पशु प्रजनन के एक जनन चक्र के लिए होगी और अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी:

परंतु जहां किसी कृषि उत्पाद का उत्पादन चक्र और अधिक है और पाँच वर्ष से अधिक हो सकता है ऐसी दशा में कृषि करार की अधिकतम अवधि कृषक और प्रायोजक द्वारा पारस्परिक रूप से विनिश्चित की जा सकेगी और कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जा सकेगी ।

(4) कृषकों को लिखित कृषि करार करने के लिए सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे आदर्श कृषि करारों सहित आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी ।

कृषि उत्पाद की श्रेणी ,क्वालिटी और मानक ।

4. (1) कृषि करार करने वाले पक्षकार ऐसे करार की अनुपालना के पालन के लिए शर्त के रूप में कृषि उत्पाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य श्रेणी और मानक अभिनिश्चित और अपेक्षित कर सकेगी । ,क्वालिटी

(2) उपधारा (1) श्रेणी और ,के प्रयोजनों के लिए पक्षकार ऐसी क्वालिटी मानक अंगीकृत कर सकेगी—

(कृषि जलवायु और ऐसे अन्य ,जो कृषि विज्ञान पद्धत्तियों (क या ;कारकों के अनुरूप है

(राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अभिकरण द्वारा या (ख इस प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा बनाए गए हों,

श्रेणी और मानक का कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख ,और ऐसी क्वालिटी । किया जाए

(3) अच्छी कृषि पद्धति ,खाद्य सुरक्षा मानक ,जीवमार अवशिष्ट नाशक श्रेणी और ,और श्रमिक तथा सामाजिक विकास मानकों के लिए क्वालिटी मानक कृषि करार में भी अंगीकृत किए जा सकेंगे ।

(4) कृषि करार करने वाले पक्षकार शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकेंगे खेती करने ,श्रेणी और मानकों को ,कि ऐसे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्वालिटी या उगाने की प्रक्रिया के दौरान अथवा परिदान के समय पर पक्षपातरहितता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्षकार अर्हित पारखियों द्वारा मॉनीटर और प्रमाणित किया जाएगा ।

कृषि उत्पाद की कीमत लगाना ।

5. किसी कृषि उत्पाद के क्रय के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत कृषि करार में ही अवधारित और उल्लिखित की जा सकेंगी और ऐसी दशा में जब ऐसी कीमत फेरफार के अध्यधीन है तब ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए स्पष्ट उपबंध किया जाएगा—

(ऐसे उत्पाद के लिए प्रत्याभूत कीमत प्रदत्त की जाए (क ;

(कृषक को सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याभूत (ख कीमत से ऊपर और अधिक किसी अतिरिक्त रकम के लिए कोई स्पष्ट कीमत निर्देश जिसके अंतर्गत बोनस या प्रीमियम भी है और ऐसे कीमत निर्देश को विनिर्दिष्ट एपीएमसी यार्ड या इलेक्ट्रानिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफार्म या किसी अन्य उपयुक्त बैंचमार्क कीमतों में विद्यमान कीमतों से जोड़ा जा सके :

परंतु ऐसी कीमत या प्रत्याभूत कीमत या अतिरिक्त रकम की पद्धति को कृषि करार के साथ उपाबद्ध किया जाएगा ।

कृषि उत्पाद का विक्रय या क्रय ।

6. (1) जहां किसी कृषि करार के अधीन किसी कृषि उत्पाद का परिदान —

(वहां ,कृषक स्थल के द्वार पर प्रायोजक द्वारा लिया जाना है (क वह ऐसा परिदान सहमत समय के भीतर लेगा;

(वहां यह सुनिश्चित करने का ,कृषि द्वारा किया जाना है (ख दायित्व प्रायोजक का होगा कि ऐसे परिदान को समय पर स्वीकार करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं ।

(2) किसी भी कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करने से ,प्रायोजक पहले ऐसे उत्पाद की कृषि करार में यथा विनिर्दिष्ट क्वालिटी या किसी अन्य अन्यथा उसके द्वारा उत्पाद का निरीक्षण ,विशेषता का निरीक्षण कर सकेगा किया गया समझा जाएगा और उसे ऐसे उत्पाद के परिदान के समय या उसके पश्चात् उसे स्वीकार करने से मुकरने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) प्रायोजक,—

(जहां कृषि करार बीज उत्पादन से संबंधित है वहां सहमत (क रकम के कम से कम दो तिहाई से अन्यून का संदाय परिदान के समय करेगा और शेष रकम का संदाय सम्यक् प्रमाणीकरण के पश्चात् किंतु परिदान के तीस दिन के अपश्चात् करेगा;

(अन्य मामलों में सहमत रकम का संदाय कृषि उत्पाद के (ख परिदान को स्वीकार करते समय करेगा और विक्रय उत्पादों के ब्यौरे सहित प्राप्ति पर्ची जारी करेगा ।

(4) राज्य सरकार ऐसा ढंग और रीति विहित कर सकेगी जिसमें उपधारा (3) के अधीन कृषक को संदाय किया जाएगा ।

कृषि उत्पाद के संबंध में छूट ।

7. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कृषि उत्पाद के संबंध में वहां ऐसा उत्पाद ऐसे कृषि उत्पाद के विक्रय और ,कोई कृषि करार किया गया है ,क्रय के विनियमन के प्रयोजन के लिए स्थापित किसी भी राज्य अधिनियम के लागू होने से छूट प्राप्त होगा । ,जिस भी नाम से ज्ञात हो

1955 का 10

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियंत्रण आदेश में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी स्टॉक सीमा से संबंधित कोई बाध्यता कृषि उत्पाद की ऐसी मात्रा को लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए कृषि करार के अधीन क्रय की जाती है ।

कृषक भूमि या परिसर के स्वामित्व अधिकार अर्जित करने या उसमें स्थायी रूप से कोई परिवर्तन करने से प्रायोजक का प्रतिषिद्ध होना ।

8. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई कृषि करार नहीं किया जाएगा—

(कृषक की भूमि या परिसर का कोई अंतरण जिसके अंतर्गत (क पट्टा और बंधक भी है ,विक्रय;

(कृषक की भूमि या परिसर पर कोई भी स्थायी ढांचा खड़ा (ख करार ,यथास्थिति ,करना या कोई परिवर्तन करना जब तक कि प्रायोजक के समाप्ति पर या करार अवधि के अवसान पर अपनी लागत पर ऐसे ढांचे को हटाने या भूमि को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करने के लिए सहमत न हो:

परंतु जहां ऐसा ढांचा प्रायोजक द्वारा सहमत रूप में नहीं हटाया जाता है करार के समाप्ति के पश्चात् या करार ,यथास्थिति ,वहां ऐसे ढांचे का स्वामित्व अवधि के अवसान पर कृषक में निहित हो जाएगा ।

कृषि करार का बीमा या प्रत्यय से जोड़ा जाना ।

9. कृषक या प्रायोजक या दोनों की जोखिम को ,किसी कृषि करार को कम करने और प्रत्यय के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वित्तीय सेवा प्रदाता की किसी स्कीम के अधीन बीमा या प्रत्यय लिखत के साथ जोड़ा जा सकेगा ।

कृषि करार के अन्य पक्षकार ।

10. अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई संकलक या कृषि प्रदाता कृषि करार का पक्षकार बन सकेगा और ऐसे मामले में ऐसे संकलक सेवा या कृषि सेवा प्रदाता की भूमिका और सेवाओं का उल्लेख ऐसे कृषि करार में स्पष्ट रूप से किया जाएगा ।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए—**स्पष्टीकरण**,—

(i) "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कृषक "संकलक जो किसी कृषक या कृषकों के किसी समूह और ,उत्पादक संगठन भी है किसी प्रायोजक के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है और कृषक तथा प्रायोजक दोनों को संकलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है;

(ii) "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि सेवाएं "कृषि सेवा प्रदाता है । प्रदान करता

कृषि करार का परिवर्तन या समापन ।

11. ऐसे करार ,किसी कृषि करार को करने के पश्चात् किसी भी समय पारस्परिक सहमति से किसी भी युक्तियुक्त कारण के लिए ऐसे ,के पक्षकार करार में परिवर्तन या उसका समापन कर सकेंगे ।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की स्थापना ।

12. (1) उस राज्य के लिए इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री ,कोई राज्य सरकार उपलब्ध कराने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी को अधिसूचित कर रजिस्ट्रीकरण के लिए सुकर ढांचा उपलब्ध कराता ,जो कृषि करारों के ,सकेगी हो ।

(2) शक्तियां और कृत्य तथा ,संरचना ,का गठन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय 3
विवाद का समझौता

विवाद के समझौते के लिए सुलह बोर्ड ।

13. (1) करार के पक्षकारों के प्रतिनिधियों से ,प्रत्येक कृषि करार में मिलकर बने किसी सुलह बोर्ड की सुलह प्रक्रिया और उसका बनाया जाना स्पष्ट रूप से उपबंधित होगा :

परंतु ऐसे सुलह बोर्ड में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उचित और संतुलित होगा ।

(2) किसी भी कृषि करार से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को पहले कृषि करार के उपबंधों के अनुसार बनाए गए सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बोर्ड द्वारा ऐसे विवाद के समझौते के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा ।

(3) जहां किसी भी विवाद के संबंध में सुलह कार्यवाही के प्रक्रम के वहां तदनुसार समझौता ज्ञापन तैयार किया जाएगा ,दौरान समझौता हो जाता है और उस पर ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा ऐसा समझौता पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

विवाद समाधान के लिए तंत्र ।

14. (1) जहां कृषि करार में धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित सुलह प्रक्रिया का उपबंध नहीं है या कृषि करार के पक्षकार उस धारा के अधीन तीस दिन की अवधि के भीतर अपने विवाद का समझौता करने में वहां ऐसा कोई पक्षकार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के पास ,असफल हो जाते हैं जा सकता है जो कृषि करारों के अधीन विवादों का विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद की प्राप्ति पर उपखंड प्राधिकारी,—

(तो ,यदि कृषि करार में सुलह प्रक्रिया के लिए उपबंध नहीं है (क ;ऐसे विवाद का समझौता करने के लिए सुलह बोर्ड का गठन कर सकेगा या

(सुलह प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद का ,यदि पक्षकार (ख समझौता करने में असफल हो जाते हैं तो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे विवाद की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में विवाद का विनिश्चय कर सकेगा और विवाद के अधीन रकम की ऐसी शास्ति और ब्याज सहित जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वसूली के लिए आदेश ,वह उचित समझे पारित कर सकेगा अर्थात् :—

(i) जहां प्रायोजक कृषक को देय रकम का संदाय करने में असफल होता है वहां ऐसी शास्ति देय रकम से डेढ़ गुणा तक हो सकेगी;

(ii) जहां आदेश कृषि करार के निबंधनानुसार किसी अग्रिम संदाय या इनपुट लागत के कारण प्रायोजक को देय रकम की वसूली के लिए कृषक के विरुद्ध किया जाता है तो ऐसी रकम प्रायोजक द्वारा उपगत वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी ;

(iii) जहां विवादित कृषि करार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हैं या कृषक द्वारा व्यतिक्रम अनिवार्य बाध्यता के कारण है तो कृषि के विरुद्ध रकम की वसूली के लिए कोई आदेश । जाएगा पारित नहीं किया

(3) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और वह ,का वही बल होगा जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता ,उसी रूप में प्रवर्तनीय होगा, 1908 के अधीन कोई डिक्री होती है जब तक कि उपधारा (4) के अधीन कोई अपील न कर दी गई हो ।

1908 का 5

(4) उपखंड प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी पक्षकार अपील जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा या ,प्राधिकारी को अपील कर सकेगा कलेक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलेक्टर द्वारा ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी ।

(5) अपील प्राधिकारी अपील का निपटारा तीस दिन के भीतर करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का वही बल होगा जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और उसी रूप में प्रवर्तनीय होगा जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी डिक्री है । का होता

1908 का 5

(7) उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित ,यथास्थिति राजस्व के बकाया के रूप-किसी भी आदेश के अधीन संदेय रकम की वसूली भू में की जा सकेगी ।

(8) इस धारा के अधीन ,उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास साक्षियों को हाजिर ,विवाद को विनिश्चित करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने ,कराने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां ,केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं होंगी ।

(9) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

कृषक की भूमि के विरुद्ध शोध्यों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न होना ।

15. धारा 14 उस धारा के अधीन ,में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी पारित किसी आदेश के अनुसरण में किसी रकम की वसूली के लिए कृषक की कृषि भूमि के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरु नहीं की जाएगी ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

16. केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के समय पर ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक-लिए राज्य सरकारों को समय समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगी ।

अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों का लोक सेवक होना ।

17. सभी प्राधिकारी जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन गठित या उपखंड प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी भी ,विहित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा ,हैं 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे । 1860 का 45

सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

18. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए केंद्रीय अपील ,उपखंड प्राधिकारी ,रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ,राज्य सरकार ,सरकार अभियोजन या अन्य ,प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद होगी । विधिक कार्यवाही नहीं

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

19. ,किसी ऐसे विवाद के संबंध में ,किसी सिविल न्यायालय को जिसका विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी इस कोई भी वाद या कार्यवाहियां ग्रहण ,अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

20. तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि में या ,इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी ऐसी विधि के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में किसी असंगत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किया गया कोई कृषि करार ऐसे करार या संविदा की अवधि के लिए विधिमान्य होती रहेगी ,या ऐसी संविदा ।

अधिनियम का स्टाक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को लागू न होना ।

1956 का 42

21. (विनियमन) इस अधिनियम की कोई बात प्रतिभूति संविदा अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को तथा उनमें किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

22. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने ,केंद्रीय सरकार के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध ,डाले बिना अर्थात् ,किए जा सकेंगे :—

(अन्य प्रयोजन जिनके लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील (क प्राधिकारी के पास धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन सिविल न्यायालय होगी की शक्ति ;

(धारा (ख 14 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड प्राधिकारी के समक्ष याचिका या आवेदन तथा अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया;

(जिसे विहित किया जाना या विहित किया ,कोई अन्य विषय (ग जाए या जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक जब वह ,नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र या दो या ,सत्र में हो और यदि उस सत्र या पूर्वोक्त ,अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पहले दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं ऐसे उपांतरित रूप में ,यथास्थिति ,बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम ऐसे उपांतरण या रद्दकरण से उस ,तथापि ;ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं रहेगा नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

23. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने ,राज्य सरकार के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध ,डाले बिना अर्थात् ,किए जा सकेंगे :—

(धारा (क 6 की उपधारा (4) के अधीन कृषक को संदाय करने का ढंग और रीति;

(धारा (ख 12 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी शक्तियां और कृत्य तथा रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ,संरचना ,का गठन;

(जिसे विहित किया जाना या विहित किया ,कोई अन्य विषय (ग जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक ,इस अधिनियम के अधीन मंडल के प्रत्येक सदन के-नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल में एक सदन है वहां उस-जहां इसमें दो सदन हैं या जहां ऐसे विधान ,समक्ष सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो तथा जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा । ,यथाशीघ्र

निरसन और व्यावृत्ति ।

25. (1) कीमत आश्वासन और (सशक्तिकरण और संरक्षण) कृषक कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 का निरसन किया जाता है ।

(2) (सशक्तिकरण और संरक्षण) कृषक ऐसे निरसन के होते हुए भी कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।